कार्यालय सचिव आवास आवंटन समिति एवं परिसम्पत्ति अधिकारी
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
पन्तनगर-263145 जनपद ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांकः इस्टेट / आ0आ0 / दिनांक : ....

आवंटन आदेश

डा0 / श्री .... पद .... विभाग ....
को आवास सं0 .... श्रेणी .... सेक्टर .... निम्न शर्तों पर आवंटित किया जा रहा है।

1. किराये के रूप में प्रतिमाह फ्लेट रेट की दर पर किराया रू0 .... देया होगा।
2. बिजली की सुरक्षा के रूप में रू0 .... इस विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा करने होंगे।
3. पानी का व्यय प्रति माह रू0 .... की दर से देय होगा।
4. इस मकान का आवंटन अस्थाई तौर पर किया जा रहा है और यदि विश्वविद्यालय चाहे तो इसे रद्द कर सकता है।
5. फिटिंग और फिक्सचर सहित मकान का कब्जा फोरमैन (इस्टेट) के माध्यम से लिया या दिया जाना चाहिए जो मकान को लेने या छोड़ने वाले व्यक्ति से लिखित सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर कब्जा देने या लेने की व्यवस्था करेगा। कब्जा लेने / खाली करने का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र फोरमैन (इस्टेट) को देना होगा।
6. आवंटन आदेश के जारी होने के सात दिन के भीतर मकान पर कब्जा लेना होगा। यदि सात दिन तक कब्जा नहीं लिया जाता है तो यह आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में अधिक से अधिक पन्द्रह दिन का समय बढ़ाने की तिथि से सात दिन बाद से ही देय हो जायेगा।
7. जिस व्यक्ति को मकान आवंटित किया गया है उसे स्वयं अपने परिवार के साथ रहना होगा किसी भी दशा में उसे यह अनुमति नहीं दी जायेगी कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रखें या उसे किराये पर दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके आवंटन को रद्द कर आवास रिक्त करा लिया जायेगा।
8. यदि सात दिन (अथवा बड़े समय) के भीतर मकान का कब्जा नहीं लिया जाता है तो उक्त आवंटन रद्द समझा जायेगा और उसके मामले पर (1) यदि व्यक्ति को इस आवंटन आदेश द्वारा किसी निचली श्रेणी का मकान आवंटित किया गया है या साझेदारी का आवास आवंटित हुआ है तो 3 माह तक विचार नहीं किया जायेगा (2) यदि उसे अधिकृत श्रेणी का पूरा मकान (जो उसे मिलना चाहिए) आवंटित किया गया है वह उस पर कब्जा नहीं लेता है तो उसका सूची से सबसे नीचे डाल दिया जायेगा।
9. यह आवंटी का उत्तरदायित्व है कि वह आवंटन नियम सं0–9 की सूची के कालम–2 में वर्णित सभी घटनाओं की सूचना सचिव आवास आवंटन समिति को दें।
10. किसी अधिकारी / कर्मचारी को 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं अन्य किन्हीं कारणों से आवास का परिवर्तन किया जाता है तो पूर्व में आवंटित आवास का कब्जा परिसम्पत्ति कार्यालय को एक माह के अन्दर देना होगा अन्यथा निम्न दरों के अनुसार आवंटित आवास का किराया लिया जोगा।
    1. प्रथम एक माह – दोनों आवास का किराया सामान्स दरों पर
    2. अगले दो माह – सामान्य किराये का 8 गुना
    3. अगले दो माह – सामान्य किराये का 16 गुना
    4. तत्पश्चात – सामान्य किराये का 32 गुना

सचिव
आवास आवंटन समिति

फोरमैन / सहायक निदेशक (परिसम्पत्ति)

प्रतिलिपि
1. सम्बद्ध व्यक्ति
2. विभागाध्यक्ष
3. सुरक्षाधिकारी
4. फोरमैन (परिसम्पत्ति)
5. सहायक निदेशक (विद्युत)
6. प्रभारी जल–कल खण्ड